न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/63/2019	2019/00166	18.12.2019	08.07.2025

1.कजोड मल पुत्र लादा पौत्र छोटू जाति गुर्जर,
2.भम्बूराम पुत्र लादा पौत्र छोटू जाति गुर्जर, (मृतक),
निवासीयान ग्राम काला दीवाला तहसील राजगढ़ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर राज0।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1.रामकिशन पुत्र श्री लादा पौत्र श्री राम नारायण,
2.कल्याण पुत्र श्री लादा पौत्र श्री राम नारायण,
3.मुरली पुत्र श्री लादा पौत्र श्री राम नारायण,
4.रामजीलाल पुत्र श्री लादा पौत्र श्री राम नारायण,
5.प्रभु पुत्र श्री लादा पौत्र श्री राम नारायण,
6.राम अवतार पुत्र बदरी पौत्र लादा,
7.कैलाश पुत्र बदरी पौत्र लादा,
8.विश्राम पुत्र बदरी पौत्र लादा,
समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम नांगल चंदेल, तहसील राजगढ़ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर राज0।
9.तहसीलदार राजगढ तहसील राजगढ़ वर्तमान तहसील दहला जिला अलवर राज0।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक भू–प्रबंध अधिकारी राजगढ, (अलवर) दिनांक 17.05.1989 जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 105 पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के निर्णय दि० 02.09.85 एवं सशोधित डिक्री दिनांक 03.02.1986 की पालना में अपीलान्टान के पिता लादा पुत्र छोटू की भूमि, जो लादा पुत्र राम नारायण के नाम दर्ज की गई थी उस डिक्री व फैसले के अलावा भी साबिक खसरा नंबर 148 व 149 वाके ग्राम नांगल चन्देल तहसील राजगढ़ जिला अलवर को लादा पुत्र रामनारायण के नाम बंदोबस्त विभाग द्वारा गलत प्रकार से खिलाफ कानून, खिलाफ मौका दर्ज कर दिया गया। इसलिए उक्त आज्ञा को मन्सुख फरमाये जाने एवं उक्त आराजी को पूर्व की तरह लादा पुत्र छोटू के वारिसान अपीलान्यन के नाम दर्ज कराये जाने हेतु।

उपस्थितः–
01.श्री भगवान सहाय शर्मा —वकील अपीलाण्ट्स
02.श्री धर्मेन्द्र सिंह जैसावत —वकील रेस्पोडेंट्स

–:: निर्णय ::–

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक भू–प्रबंध अधिकारी राजगढ, (अलवर) दिनांक 17.05.1989 से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि अपीलान्टान ग्राम काला दिवाला तहसील राजगढ़ जिला अलवर के निवासी है और स्वर्गीय श्री लादा पुत्र छोटू के विधिक वारिस काबिज जायदाद हैं। आराजी साबिक खसरा नंबर 148 रकबा 8 बिस्वा व 149 रकबा 15 बिस्वा, जिसके संवत 2046 में हाल खसरा नम्बर 645 रकबा 15 ऐयर, 646 रकबा 12 ऐयर वाके ग्राम नांगल चन्देल तहसील राजगढ़ जिला अलवर कायम हुए हैं। जो कि विवादित आराजी है। उक्त साबिक खसरा नंबर 148 व 149 वाके ग्राम नांगल चन्देल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

तहसील राजगढ़ अपीलान्टान के पिता लादा पुत्र छोटू गुर्जर निवासी ग्राम काला दिवाला तहसील राजगढ़ को दिनांक 05.08.1962 आवंटन हुई थी। जिसका इन्तकाल गैरखातेदारी संख्या 31 दिनांक 03.06.73 व खातेदारी का इन्तकाल संख्या 68 दिनांक 15.07.1975 लादा पुत्र छोटू के नाम दर्ज होकर मंजूर हो चुका था। उसी समय से उक्त आराजी पर लादा पुत्र छोटू अपने जीवनकाल तक एवं उसक मरने के बाद मिन अपीलान्टान बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। ग्राम नांगल चन्देल के आराजी खसरा नंबर 39 रकबा 3 बीघा 13 बिश्वा, 83 मिन रकबा 5 बीघा, 91 रकबा 2 बीघा, 93 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 108 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 118 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 119 रकबा 17 बिस्वा, 123 रकबा 6 बिस्वा, 124 रकबा 8 बिस्वा, 126 रकबा 14 बिस्वा, 127 रकबा 2 बिस्वा, 128 रकबा 13 बिस्वा, 129 रकबा 11 बिस्वा, 130 रकबा 5 बिस्वा, 131 रकबा 7 बिस्वा, 132 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 139 रकबा 10 बिस्वा, 140 रकबा 10 बिस्वा, 141 रकबा 9 बिस्वा, 142 रकबा 1 बीघा, 191 रकबा 19 बिस्वा, 192 रकबा 16 बिस्वा, 194 रकबा 9 बिस्वा, 213 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 218 रकबा 3 बिस्वा, 195 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 26 रकबा 27 बीघा 6 बिस्वा, जिनके हाल खसरा नंबर 93, 94, 161, 162, 167, 463, 464, 530, 531, 532, 535, 561, 575, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 629, 630, 632, 633, 638, 639, 640, 641 कायम हुए हैं, जो संवत 2024 की जमाबन्दी तक लादा पुत्र रामनारायण, जिसके वारिसान रेस्पाडेन्टान हैं, के नाम खातेदारी में दर्ज रही और उसके बाद के रिकॉर्ड जमाबन्दी में उक्त आराजी लादा पुत्र छोटू, जिसके वारिसान अपीलान्टान हैं, के नाम दर्ज करदी गई। जिस गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कराने हेतु एक दावा उक्त लादा पुत्र रामनारायण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ में किया गया, जिसमें लादा पुत्र छोटू द्वारा इकबाल दावा दिया गया और उसके बाद दावा दिनांक 02.09.85 को दावा डिक्री कर दिया व इसके बाद उक्त डिक्री को दिनांक 03.02.1986 को संशोधित किया गया। उस वक्त राजगढव तहसील में बंदोबस्त संवत 2046 का कार्य चल रहा था, इसलिए लादा पुत्र रामनारायण नैडिक्री का अमल कागजात माल में कराने के लिए ए.एस.ओ. साहब राजगढ़ को दिनांक 13.10.88 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रार्थना पत्र संख्या 105 पर दर्ज कर दिनांक 17.05.1989 उक्त डिक्री के आधार पर अमल के आदेश पारित कर दिये। उस समय तक बंदोबस्त विभाग द्वारा मिसल बंदोबस्त संवत 2046 लिखी जाकर तैयार की जा चुकी थी, इसलिए अमल किए जाने के आदेश का नोट मिसल बंदोबस्त संवत 2046 के खाता संख्या 132 में लालस्याही से लगा दिया गया। जिसके आधार पर उसके बाद की जमाबन्दीयों में अमल कर दिया गया, तो ताहाल जमाबन्दी चला आ रहा है। चूँकि इसके बाद लादा पुत्र रामनारायण का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसके वारिसान रेस्पाडेन्टान का नाम कागजात माल में अमल आ गया।

उक्त डिक्री का अमल कराने के लिए लादा पुत्र रामनारायण ने जो प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.88 को प्रस्तुत किया था, उसमें कोई खसरा नंबर अंकित नहीं किए थे केवल डिक्री के आधार पर कागजात माल में अमल कराने का निवेदन किया था और उसी अनुसार ए. एस. ओ. साहब, राजगढ़ ने भी अमल के लिए आदेश कर दिये, जिसमें भी कोई खसरा नंबर अंकित नहीं किए किन्तु अमल करते समय बंदोबस्त विभाग के द्वारा मिसल बन्दोबस्त संवत 2046 के खाता संख्या 132 में जो नोट लालस्याही से लगाया, उसमें निर्णय एवं डिक्री में उल्लेखित आराजीयात के अलावा भी अन्य हाल खसरा नंबर 645 रकबा 15 ऐयर व 646 रकबा 12 ऐयर (जिनका साबिक खसरा नंबर 148 व 149 है) को भी शामिल करके दर्ज कर दिया गया। जबकि खसरा नंबर 645 व 646 का न तो दावा था, न उन नंबरों का कोई निर्णय पारित किया गया, न कोई डिक्री पारित की गई। इसके बावजूद गलत तरीके से खिलाफ कानून, खिलाफ मौका, मनमाने रूप से अपीलान्टान के पिता की अलॉट्शुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी मुतनाजा को दर्ज कर दिया गया, जिसकी जानकारी अपीलान्टान के पिता को भी अपने जीवनकाल में नही हुई न ही उनके मरने के बाद हम अपीलान्टान को कोई जानकारी हुई और अपीलान्टान आज भी बदस्तूर विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा विवादित आराजी पर रेस्पाडेन्टस का एवं उनके बुजुर्ग लादा पुत्र रामनारायण का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा।

अपीलाब्टान को उक्त गलत इन्द्राजात की जानकारी दिनांक 24.09.2019 को हुई, जिस पर अपीलान्टान ने रेस्पाडेल्टान से कागजात माल में दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया किन्तु उन्होने साफ मना कर दिया। जिस पर अपीलान्टयन ने अपने वकील साहब से कानूनी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

सलाह मशवरा किया तथा वकील साहब की सलाह के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ में एक राजस्व वाद रेस्पाडेन्टस के खिलाफ प्रस्तुत कर दिया, जो विचाराधीन है। जिस दावे के दौरान भी रेस्पाडेन्टस ने विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो अपीलान्टान ने अपने वकील साहब को कहा, जिस पर उन्होंने यह सलाह दी कि उक्त आदेश दिनांक 17.05.1989 के विरूद्ध अपील भी करना जरूरी है। जबकि इससे पूर्व अपील पेश करने की कोई सलाह अपीलान्टान को वकील साहब ने नही मिली तथा अपीलान्टान भी अनपढ़ ग्रामीण लोग हैं, जिन्हे नियम कायदों की कोई जानकारी नही थी तथा वकील साहब ने आलोच्य आदेश की नकल लेने के लिए कहा, किन्तु बंदोबस्त का कार्य बन्द होने के कारण अपीलान्टान आलोच्य आदेश की नकल लेने के लिए भागदौड़ी करते रहे और कई कार्यालयों में जाकर जानकारी की और जानकारी होने पर दिनांक 15.11.19 को आलोच्य आदेश की नकल हेतु आवेदन पत्र जिला भूअभिलेख शाखा अलवर में प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 20.11.19 को नकल प्राप्त हुई। जिससे अविलम्ब ही यह अपील प्रस्तुत की जा रही है, जो कि अंदर मियाद स्वीकार किए जाने योग्य है। जिस हेतु जेर दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

आलोच्य आदेश मिन अपीलान्दान व उनके पिता को बिना सुने गैरमौजूदगी में पारित किया गया है। किन्तु आलोच्य आदेश से अपीलान्टान के हित सीधे रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए अपीलान्टान को अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। जिसकी इजाजत के लिए पृथक से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरोक्त प्रकार से यह स्पष्ट है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 645 रकबा 15 ऐयर, 646 रकबा 12 ऐयर वाके ग्राम नांगल चन्देल तहसील राजगढ़ जिला अलवर से रेस्पाडेन्टस का कोई लेना–देना किसी तरह का नही है बल्कि उक्त आराजी मुतनाजा पर अपीलान्टान अपने पिता लादा पुत्र छोटू के जीवनकाल से ही बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। किन्तु गलत आलोच्य आदेश की आड़ में गलत व खिलाफ कानून मौका किये गये इन्द्रजात की आड़ में रेस्पाडेन्टस, मिन अपीलान्टस को उनकी कब्जे काश्त की आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल कर अपना नाजायज कब्जा करने पर उतारू हैं और आये दिन जबरन कब्जा करने की कौशिशें करते रहते हैं, तथा आराजी मुतनाजा को गलत इन्द्राजात की आड़ में दीगर लोगों को रहन, बैय, हिबा आदि के मुन्तकिल व मकफूल करने पर उतारू हैं। जिसका कि रेस्पाडेन्टस को कानूनन कोई हक हाँसिल नहीं है। इसलिए आलोच्य आदेश को अपास्त किया जाकर विवादित आराजी को अपीलान्टान के नाम कागजात माल में दर्ज कराया जाना अति आवश्यक है। जिस हेतु यह अपील प्रस्तुत है। अपील आलोच्य आदेश सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, राजगढ़ (अलवर) के खिलाफ होने से माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य है।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश अधनीस्थ न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदय, राजगढ़ (अलवर) दि० 17.05.1989 को इस सीमा तक निरस्त किए जाने के आदेश सादिर फरमाये जावें कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के निर्णय दि० 02.09.85 एवं सशोधित डिक्री दिनांक 03.02.1986 की पालना में डिक्री व फैसले के अलावा जो आराजी साबिक खसरा नंबर 148 व 149, जिसके कि बंदाबस्त संवत 2046 में हाल खसरा नम्बर 645 रकबा 15 ऐयर, 646 रकबा 12 ऐयर कायम किए गए हैं, वाके ग्राम नांगल चन्देल तहसील राजगढ़ जिला अलवर को लादा पुत्र रामनारायण का नाम कलमजन करते हुए स्वर्गीय श्री लादा पुत्र छोटू के वारिसान अपीलान्टान के नाम दर्ज किया जावे। अन्य उचित आज्ञा बहक अपीलान्टान प्रदान की जावे। कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किये जो निम्न प्रकार हैं:– प्रथम दृष्टया अपील में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तथा दफा 05 डिसाइड हो चुकी है। एएसओ के आदेश के विरूद्ध अपील है। भम्बू की मौत हो चुकी है जो लावल्द फौत हुआ है। एक मात्र वारिस कजोड हो ही रखा जावे। 148, 149 साबिक खसरा न0 में एसडीओ के द्ववारा चढा दिये हैं। एएसओ के द्वारा आंख बंद करके निर्णय/आदेश पारित कर दिये गये हैं। 15.11.2019 नकल एपलीकेशन लगाया दिनांक 20.11.2019 को नकल प्राप्त हुई। साबिक खसरा न0 148, 149 की खातेदारी अपीलांट को दिनांक 05.06.1962 को अलॉट हुई थी। निर्णय दिनांक 02.09.1985 एवं संशोधित आदेश 03.02.1986 का है। कोज ऑफ एक्शन 24.09.2019 को कब्जा करने का प्रयास किया तथा 24.10.2019 को पेश एसडीओ के दावा किया। जिसे नोट प्रेस में दिनांक 03.07.2023 को खारिज कर दिया गया। सेक्शन 151 ऑलरडी खारिज हो चुकी है। एसडीओ के आदेश में कोई त्रुटि ही नहीं है। एएसओ ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आदेश कर दिया है रिलीफ नोट भी सही लिखा है। वकील अपीलांट द्वारा अपील के समर्थन में निम्न साईटेशन पेश किये हैं आरआरडी 2018 पेज 471, आरबीजे (5) 1998 पेज 258, आरआरडी 1990 पेज 535, आरआरटी 2016 (2) पेज 971, आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरटी 2022 (2) पेज 791।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किये जो निम्न प्रकार हैं:– वकील अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तथा सारे दस्तावेज लगा दिये हैं। अदालत की अनुमति नहीं ली गई है। अपील के टाइटल हेड नोट की पालना नहीं की गई है। डिक्री की पालना में नामान्तरण दर्ज हुआ है। वकील अपीलांट को आदेश की जानकारी 24.09.2019 को हुई जो की एडमिटेड फैक्ट है। किन्तु अपीलांट द्वारा दिनांक 19.12.2019 को करीब ढाई माह बाद अपील पेश की है तथा दिन प्रतिदिन का हिसाब नहीं दिया गया है। जब रेगुलर दावा विचाराधीन हो तो अपील नहीं चलेगी। अपील मियाद बाहर है। डिक्री को निरस्त कराना चाहते हैं जिसका इन्द्राज 1989 से चला आ रहा है। 30/40 साल से जब नाम है तो पटवारी का एफिडेविट जरूरी है। सेक्शन 05 डिसाइड कर दें तथा अपील को खारिज किया जावे। म्यूटेशन डिक्री की पालना में हुआ है। अपील खारिज योग्य है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस के समर्थन में निम्न साईटेशन पेश किये हैं आरआरटी 2005 पार्ट (2) पेज 774, आरआरटी 2014 पार्ट (1) पेज 528, आरआरडी 2002 पेज 541, आरआरटी 2021 पार्ट (2) पेज 851,1250,1318 ।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपील में अंकित तथ्य एवं बहस का मिलान किया गया। न्यायालय सहायक भू–प्रबंधक राजगढ अलवर द्वारा दिनांक 17.05.1989 को पारित आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 02.09.1985 के अनुसार लादू पुत्र छोटु के स्थान पर लादा पुत्र रामनारायण किया गया है जो सही है। जहां तक 02 खसरे अतिरिक्त जोडकर नोट लगाने का प्रश्न है तत्समय बन्दोबस्त संक्रिया चल रही थी उस समय पटवारी हलका द्वारा समस्त राजस्व अभिलेख में नोट लगाते समय यह दो खसरे अतिरिक्त जोड दिये हैं यह राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती को मामला होने के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा ही उक्त अंकन को विधिवत प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जा सकता है चूंकि एएसओ के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है इसलिए हस्तगत अपील के स्तर पर राजस्व रिकॉर्ड में कोई संशोधन/तब्दीली किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)